भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1136
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जेएसएसके के अंतर्गत लाभार्थी

1136. कु. सुधा आर:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के अंतर्गत कितनी निधि आवंटित की गई है और कितनी परियोजनाएं चल रही हैं;
(ग) देश में पीएम-जेएवाई (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है;
(घ) पीएम-जेएवाई (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के अंतर्गत बीमा कंपनियों को भुगतान किए गए प्रीमियम का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश में विभिन्न नई दवाओं के चल रहे मानव परीक्षणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): देश में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ख): जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के अनुमोदन का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(ग) और (घ): दिनांक 30 जून 2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 41 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तीन तरीकों में से एक के ज़रिए लागू की जाती है: ट्रस्ट मोड, इंश्योरेंस मोड, या हाइब्रिड मोड। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास इनमें से किसी भी तरीके से योजना को लागू करने की सुविधा है और वे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के निर्णय के आधार पर एक तरीके से दूसरे तरीके में बदलाव कर सकते हैं।

एबी-पीएमजेएवाई का वित्तपोषण पूरी तरह से मांग आधारित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वास्तविक मांग के आधार पर योजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार धनराशि का आवंटन नहीं है। एनएचए द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य प्रत्येक नई धनराशि जारी करने से पहले पूर्व में प्राप्त धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि में केंद्र के हिस्से का विवरण अनुलग्नक-III में संलग्न है।

(ड़): केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा अनुमोदित और 19 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2025 तक क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया (सीटीआरआई) में पंजीकृत “न्यू ड्रग” नियामक मानव परीक्षणों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।.

*****

दिनांक 25.07.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1136 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जेएसएसके योजना के तहत भारत और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जेएसएसके के तहत लाभान्वित गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या	जेएसएसके के तहत लाभान्वित बीमार शिशुओं की कुल संख्या
	अखिल भारत	1,99,08,272	16,85,447
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,687	185
2	आंध्र प्रदेश	2,51,558	47,101
3	अरुणाचल प्रदेश	24,520	676
4	असम	10,80,610	65,920
5	बिहार	9,05,155	45,260
6	चंडीगढ़	60,385	14,618
7	छत्तीसगढ़	3,47,851	39,698
8	दिल्ली	1,26,960	8,632
9	गोवा	28,785	1,927
10	गुजरात	7,47,466	1,11,396
11	हरियाणा	4,12,660	27,886
12	हिमाचल प्रदेश	1,50,142	26,100
13	जम्मू और कश्मीर	2,26,258	55,255
14	झारखंड	5,36,166	31,676
15	कर्नाटक	5,10,341	69,750
16	केरल	4,76,211	25,662
17	लद्दाख	4,139	1,153
18	लक्षद्वीप	470	93
19	मध्य प्रदेश	12,04,732	1,21,870
20	महाराष्ट्र	18,93,689	1,24,669
21	मणिपुर	28,242	3,039
22	मेघालय	1,87,417	19,215
23	मिजोरम	7,106	853
24	नागालैंड	12,634	886
25	ओडिशा	11,36,483	69,623
26	पुदुचेरी	8,977	1,789
27	पंजाब	6,22,956	43,138
28	राजस्थान	6,27,230	1,29,852
29	सिक्किम	4,997	1,068
30	तमिलनाडु	13,68,660	74,477
31	तेलंगाना	86,803	6,711
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	13,022	5,446
33	त्रिपुरा	38,029	7,492
34	उत्तराखंड	2,24,280	14,775
35	उत्तर प्रदेश	55,19,612	2,60,101
36	पश्चिम बंगाल	10,29,039	2,27,455

डेटा स्रोत: एचएमआईएस पोर्टल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

दिनांक 25.07.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1136 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष **2024-25** के लिए जेएसएसके के अंतर्गत निधियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्वीकृति

(लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जेएसएसके-मातृ स्वास्थ्य	जेएसएसके-शिशु स्वास्थ्य
1	अंडमान और निकोबार	4.00	0.50
2	आंध्र प्रदेश	8,733.05	761.67
3	अरुणाचल प्रदेश	819.07	5.47
4	असम	11,197.04	1,112.68
5	बिहार	27,315.40	1,081.27
6	चंडीगढ़	0	0
7	छत्तीसगढ़	4,040.00	130.00
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	117.32	21.74
9	दिल्ली	565.00	85.00
10	गोवा	121.10	15.17
11	गुजरात	11,246.63	1,533.63
12	हरियाणा	2,130.18	106.61
13	हिमाचल प्रदेश	1,264.82	0
14	जम्मू और कश्मीर	4,073.36	541.34
15	झारखंड	11,215.44	534.05
16	कर्नाटक	3,433.28	350.31
17	केरल	2,679.76	173.01
18	लद्दाख	99.50	18.00
19	लक्षद्वीप	9.34	9.98
20	मध्य प्रदेश	10,081.37	1,633.31
21	महाराष्ट्र	23,169.79	1,378.71
22	मणिपुर	1,043.00	45.00
23	मेघालय	1,552.58	142.50
24	मिजोरम	235.19	40.40
25	नागालैंड	503.30	42.50
26	ओडिशा	4,480.88	299.94
27	पुदुचेरी	334.01	11.00
28	पंजाब	6,280.50	400.00
29	राजस्थान	20,993.12	2,449.00
30	सिक्किम	154.85	11.75
31	तमिलनाडु	4,555.71	1,976.34
32	तेलंगाना	5,640.50	312.25
33	त्रिपुरा	1,159.46	83.85
34	उत्तर प्रदेश	56,430.38	167.20
35	उत्तराखंड	2,313.42	70.32
36	पश्चिम बंगाल	17,873.09	850.32

नोट:

1. उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट (एफएमआर) के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।

दिनांक 25.07.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1136 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-III

वित्त वर्ष **2024-25** तक एबी-पीएमजेएवाई के तहत जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय हिस्सा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी केन्द्रीय अंश (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.87
2	आंध्र प्रदेश	1746.15
3	अरुणाचल प्रदेश	16.86
4	असम	897.68
5	बिहार	987.93
6	चंडीगढ़	28.76
7	छत्तीसगढ़	1063.16
8	दादरा और नगर हवेली और	21.41
	दमन और दीव	1.07
9	गोवा	2.81
10	गुजरात	1598.60
11	हरियाणा	522.23
12	हिमाचल प्रदेश	228.57
13	जम्मू और कश्मीर	277.83
14	झारखंड	533.26
15	कर्नाटक	2056.60
16	केरल	744.61
17	लद्दाख	7.94
18	लक्षद्वीप	0.52
19	मध्य प्रदेश	2644.82
20	महाराष्ट्र	2036.65
21	मणिपुर	131.52
22	मेघालय	208.94
23	मिजोरम	103.54
24	नागालैंड	103.63
25	पुदुचेरी	24.23
26	पंजाब	418.90
27	राजस्थान	1807.65
28	सिक्किम	16.03
29	तमिलनाडु	2135.92
30	तेलंगाना	687.58
31	त्रिपुरा	192.51
32	उत्तर प्रदेश	2694.13
33	उत्तराखंड	285.40

दिनांक 25.07.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1136 के उत्तर के भाग (ड़) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-IV

दिनांक 19 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2025 तक क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया (सीटीआरआई) में पंजीकृत मानव परीक्षणों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**पंजीकृत** ट्रायल की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	604
2	असम	77
3	बिहार	102
4	चंडीगढ़	186
5	छत्तीसगढ़	111
6	दमन और दीव	2
7	दिल्ली	888
8	गोवा	35
9	गुजरात	1628
10	हरियाणा	278
11	हिमाचल प्रदेश	8
12	जम्मू एवं कश्मीर	20
13	झारखंड	28
14	कर्नाटक	1415
15	केरल	325
16	मध्य प्रदेश	38
17	महाराष्ट्र	2890
18	मणिपुर	4
19	मेघालय	2
20	उड़ीसा	310
21	पांडिचेरी	68
22	पंजाब	133
23	राजस्थान	818
24	तमिलनाडु	582
25	तेलंगाना	681
26	त्रिपुरा	1
27	उत्तर प्रदेश	1007
28	उत्तरांचल	85
29	पश्चिम बंगाल	810
	कुल	**13136**

****